253

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R4270-I16

अपील प्रकरण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर

कुंवरलाल कोल पिता श्री रामसहाय कोल
निवासी मकान नंबर 32, ग्राम कोसमघाट,
तहसील व जिला जबलपुर —— अपीलार्थी

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर —— प्रति अपीलार्थी

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक प्रकरण क्रमांक 35/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-11-16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35 (4) के तहत अपील.

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व की ग्राम कुकरीखेड़ा प.ह.नं. 79 रा. नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 202/2/1 रकबा 0.400 हैक्टर स्थित है । उक्त भूमि के अतिरिक्त आवेदक के पास ग्राम उर्रम में 7.190 हैक्टर भूमि और है । अपीलार्थी अपनी अन्य भूमि की तरक्की एवं रहवास के लिए मकान बनाने के लिए रूपयों की आवश्यकता होने से ग्राम कुकरखेड़ी की भूमि को गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री कमलेश कुमार दुबे पिता श्री गोविन्द प्रसाद दुबे को

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 4270-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-12-16	यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-11-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 21-11-16 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम कुकरीखेड़ा प.ह.नं. 79 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 202/2/1 रकबा 0.400 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमि है शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त ग्राम उर्रम में 7.190 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-11-16 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को ग्राम कुकरीखेड़ा प.ह.नं. 79 रा.नि. मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 202/2/1 रकबा 0.400 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी । अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर	